न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/522/2025

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. किशना पिता जोधराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
2. पृथ्वीराज पिता जोधराज जाति जाट मृत्तक के बजाय–
   2/1– मांगीलाल गोदपुत्र पृथ्वीराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
   2/2– मु0 देऊबाई पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
3. बक्षु पिता जोधराज जाति जाट मृत्तक के बजाय–
   3/1– मु0 देऊबाई पुत्री बक्षु पत्नी चम्पालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
   3/2– मु0 अणछी बाई पुत्री बक्षु पत्नी देवकिशन जाति जाट आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
   3/3– मु0 धापू बाई पुत्री बक्षु पत्नी रतनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी पावटीया तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
   3/4– मु0 नानी बाई पुत्री बक्षु पत्नी मांगीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
4. मादुलाल पिता जोधराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
5. नारायण मुतबन्ना गमेरा जाति जाट मृत्तक के बजाय वादी संख्या 6 के वारीस ही है।
6. नारायण पिता लालु जाति जाट मृत्तक के बजाय–
   6/1–मोहन पिता नारायण जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
   6/2–सीताराम पिता नारायण जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
   6/3–मु0 देऊ बाई पत्नी नारायण जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
   6/4–मु0 भावना पुत्री नारायण पत्नी प्रकाश जाति जाट आयु वयस्क निवासी पटोलिया तहसील भूपालसागर जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
7. मिठू पिता चतर्भुज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
8. शंकर पिता चतर्भुज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
9. जीतू पिता उदयराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
10. मु0 शंकरी पुत्री उदयराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)। (विलोपित)

—— वादीगण

बनाम

1. छोगालाल पिता नानुराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
2. धापूबाई पुत्री गंगाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
3. मु0 शंकरी पुत्री गंगाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
4. मु0 कस्तुरी बेवा नानुराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

5. मु0 उदी बेवा नानुराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
6. मु0 रतनी पुत्री नानुराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
7. मु0 नोसर पुत्री नानुराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
8. मु0 भगू पुत्री नानुराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
9. मु0 रामकन्या पुत्री नानुराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
10. मु0 राधा पुत्री नानुराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
11. शिवलाल पिता काशीराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
12. राज्य जरिये तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

—— प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 25.03.2026

—:निर्णयः—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा रेण का खेडा पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 तक संयुक्त खातेदारी की खाता संख्या 223 में आराजीयात स्थित हैं जिसके खसरा नम्बर 1122/827, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 कुल किता 12 कुल रकबा 4.44 हैक्ट0 स्थित है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजीयात नानुराम पिता हंसराज जाति जाट नि0 रेण का खेडा के नाम पर भी दर्ज है मगर उनकी मृत्यु हो गई हैं और उनके वारीस प्रतिवादी संख्या 4 से 10 तक हैं तथा इसी प्रकार मु0 प्यारी पुत्री जोधराज जाट की भी मृत्यु हो गई हैं।

यह कि उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 छोगालाल पिता नानुराम जाट का 1/3 हिस्सा दर्ज है जो उसके नाम पर उसके पिता नानुराम जी के फौत होने से जरिये विरासत दर्ज हुआ हैं तथा उक्त ईन्द्राज गलत हैं चुंकि उक्त आराजीयात पूर्व में शामलाती थी व उनका 1/3 हिस्सा था और नानुराम ने श्रीमान् के न्यायालय में विभाजन का वादपत्र पेश किया जो प्रकरण संख्या 33 सन 1999 रे0 वाद पर दायर होकर दिनांक 11.11.1999 को अंतिम डिक्री किया गया और नानुराम के हिस्से की 1/3 में आराजी नम्बर 819/1 रकबा 2.22 हैक्ट0 बाद विभाजन कायम किये गये तथा उक्त जमीन उनके नाम पर दर्ज कर दी गई और उसका वर्तमान में आराजी नम्बर 1173/819 रकबा 2.22 हैक्ट0 बने हैं तथा नानुराम की मृत्यु के बाद उक्त नम्बर उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 छोगालाल के नाम पर खाता नम्बर 264 में दर्ज है इस प्रकार विभाजन के बाद वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक, हिस्सा या कब्जा नही रहा हैं मगर भूलवश उक्त आराजीयात में भी पक्षकारान के साथ प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज हो गया हैं जो गलत है अतः उसे दुरूस्त कर हटाया जाना आवश्यक है।

यह कि मौके पर पक्षकारान ने अपने पैतृक समय से उक्त आराजीयात का विभाजन कर रखा हैं तथा उसके अनुसार वादी संख्या 1, 2, 3, 4, 9, 10 के हिस्से व कब्जे में आराजी नम्बर 820, 821, 822 तथा वादी संख्या 5, 6 के हिस्से में आराजी नम्बर 816, 817, 818, 819 तथा वादी संख्या 7, 8 के हिस्से व कब्जे में आराजी नम्बर 823, 824, 825, 826, 1122/827 चली आ रही हैं तथा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजीयात में कोई हक व हिस्सा नही है तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 11 तक को उनका हिस्सा दिगर पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात में अलग दे दिया हैं और उन पर उनका कब्जा हैं और इस खाते की आराजीयात में अलग दे दिया हैं और उन पर उनका कब्जा हैं और इस खाते की आराजीयात में उनका कोई हक, हिस्सा, कब्जा नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात में कोई हक, हिस्सा नहीं हैं अतः उनका नाम हटाये जाने की घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्ती आवश्यक हैं।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से ईन्द्राज दुरूस्त कराने व विभाजन हेतु कहा तो आनाकानी करते हैं अतः बिनाय दावा पैदा हुई हैं जिसकी शुरूआत दिनांक 01/08/2021 से हैं तथा वह निरन्तर पैदा हो रही हैं।

अन्त में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा किये जाने की डिक्री प्रदान की जावें कि वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित मौजा रेण का खेडा तहसील कपासन की खाता संख्या 223 में प्रतिवादी संख्या 1 का जो 1/3 हिस्सा दर्ज हैं वह गलत है अतः उसका नाम हटाया जावें तथा राजस्व रेकार्ड का इन्द्राज इसी अनुसार दुरूस्त किया जावें।

यह कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त आराजीयात के विभाजन की डिक्री प्रदान की जावें तथा विभाजन के अनुसार आराजी नम्बर 820–821–822 वादी संख्या 1, 2, 3, 4, 9, 10 के नाम पर तथा आराजी नम्बर 816, 817, 818, 819 वादी संख्या 5 व 6 के नाम पर तथा आराजी संख्या 823, 824, 825, 826, 1122/827 वादी संख्या 7, 8 के नाम पर पृथक पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित की जावें तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 तक का नाम हटाया जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 4 से 7 व 10 की ओर से अधिवक्ता श्री ठाकुर प्रसाद व्यास का अधिकार पत्र प्रस्तुत जो शा0फा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 11 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से पूर्व में दिनांक 08.09.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 8, 9 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से पूर्व में दिनांक 07.01.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नही किये जाने से पूर्व में दिनांक 22.04.2025 को जवाब बन्द किया गया। साक्ष्यवादी में मिठू पिता चतुर्भुज जाति जाट तथा मांगीलाल पिता बक्षु जाति जाट का शपथ पत्र पेश तथा दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो प्रदर्श–1 से लगायत प्रदर्श–4 है।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। प्रदर्श–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम वादवर्णित आराजीयात में गलत अंकित है क्योंकि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 33/1999 निर्णय दिनांक 11.11.1999 से आराजी संख्या 819/1 रकबा 2.22 हैक्ट0 बाद विभाजन से पृथक से नाम दर्ज रेकार्ड है व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का नाम हटाये जाने के संबंध में वादी द्वारा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है जिससे वादीगण अपना वादपत्र आंशिक रूप से सिद्ध कराने में सफल रहे है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा रेण का खेडा पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन के खसरा नम्बर 1122/827, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 कुल किता 12 कुल रकबा 4.44 हैक्ट0 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाये जाने का आदेश दिया जाता है शेष बदस्तुर रहे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन